

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CX 764858

भूमेश कुमार पालीवाल

कैथियर

8 DEC 2015


कोषागार, आगरा

AFFIDAVIT

I, Manju Gupta wife of Shri Vijay Kumar Gupta and Secretary of the Shanti Niketan Charitable Welfare Society aged about 63 years, resident of 2/363A, The Mall Road, Pratap Pura X-ing, Agra-282001, am the authorized signatory of the application made to the Regional Committee of the National Council For Teacher Education at Jaipur seeking grant of recognition / permission for conducting a course in Teacher Education titled **D.El.Ed. (B.T.C.)** with Additional intake of 2 (Two) unit (50 seat in each units) in I year & same in II year.

2. That the Swaraj College of Education Under Control & Managed by Shanti Niketan Charitable Welfare Society is in possession of land as per the following description:-

Total Area of the land (in Sqr. Mts.):	3760.00 Sqr. Mts.
Address :	
Plot No :	260 GA (T) & 231
Khasra No :	260 GA (T) & 231
Villaga /Town / City :	Tehra, Tehsil - Kheragarh
District :	Agra
State :	Uttar Pradesh



मंजू गुप्ता

Bounded by

North:	Other land
South:	20 ft. Wide Road
East:	Other land
West:	Other land

Registered in the office of: Sub-Registrar, Tehsil- Kheragarh, Agra on 22-03-2010 for plot no. 260 GA & on 12-05-2009 for plot no. 231.

3. That the land is on ownership basis.
4. That the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the Competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. **12/10-11** dated **20-04-2012** and a copy thereof is enclosed.
6. That the said premises shall not be used for running educational activity/institution, other than the teacher education programme for which recognition is being sought.
7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.
8. I do hereby swear that my declaration under Para's(1) to (6) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

मंजू गुप्ता

Manju Gupta, Secretary,

Shanti Niketan Charitable Welfare Society, Agra

Plot No. 260 GA, NH-3, Agra-Gwalior Road,

Tehra, Teh.- Kheragarh, Agra

09358506796

drakgupta3674@gmail.com

www.swarajcollegeofeducation.com

Place: Agra

Date: 14-01-2016



ATTESTED

Pawan Kumar Sharma
Not. NOTARY, AGRA
Gazetted Officer

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वद संख्या 12/10-11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम्

सरकार,

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

प्राख्यापन

तहसीलदार खेरागढ़ की आख्या दिनांक 16.04.2012 से सन्तुष्ट होकर मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा की निम्नांकित भूमि को उ०प्र० ज०वि०अ० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 की धारा 143 सहवादित नियम 135(3) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कट पालन जिसके अन्तर्गत संवर्धन नहीं, किया जा रहा है और ना ही इस उपयोग में आ रही है।

ग्राम का नाम, तहसील व जिला	भूमिधर का नाम व पता स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा	भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल	भू-राजस्व
मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा	श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०क०के० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे. बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।	खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकबा 0.2990 हेक्टेयर	875 रु०

उपरोक्त भूमि को उक्त व्यक्ति के नाम, अकृषिक भूमि होने के कारण भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है।

उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।

प्रतिलिपि:

1. उपनिबंधक खेरागढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि इस प्राख्यापन की एक प्रति पृष्ठाकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजे।
2. तहसीलदार खेरागढ़ को दो प्रतियां अमलदरामद हेतु।

उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।

20/4/12

मंजू गुप्ता



न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 12/10-11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०कके० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अ०

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

आदेश निर्णय दिनांक 20-4-12

प्रस्तुत वाद श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०कके० गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा। के प्रार्थना पत्र दिनांक 10-04-2012 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हैं तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। अन्त में उसने उक्त स्कूल के नाम अंकित भूमि को आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ़ से जाँच आख्या मांगी गयी, तहसीलदार खेरागढ़ ने राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर एवं नियम 135(1) ज०वि०अ० के तहत नियत प्रारूप पर विस्तृत आख्या दिनांक 16.04.2012 में लिखा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति तेहरा तहसील खेरागढ़ जि० आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हैं तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है, वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व मैने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया, मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़ जि० आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टेयर लगानी 9.05 रुपया कृषि कार्य के



मंजू गुप्ता


28/4/12

प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त गाटा संख्याओं में वर्णित उक्त भूमि में मत्स्य पालन एवं कुपट पालन के प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। को अकृषिक घोषित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जि० आगरा के खाता संख्या 724 संख्या 260 ग रकबा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया पर स्वराज कॉलेज ऑफ जूनिअर द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी०कके० गुप्ता सचिव शान्ति निकेतन चैरिटे बिल पर सोसायटी पंजी० कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा को धारा ३०प्र० ज०वि०अ० १५० की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 16.04.2012 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ को भेजी जाए प्राख्यापन जारी हो। वाद कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।






उपजिलाधिकारी खेरागढ,
आगरा।

TRUE COPY


Presiding Officer

28/4/12

क्रमांक ७५
आदेशक का नाम श्री विजयेंद्र सिंह
आदेशन की तिथि 27/4/12
प्रति तैयार होने की तिथि 28/4/12
एकड़ों की संख्या 4.26
कुल रकम 72 रूपया
हस्ताक्षर 
प्रति निवेदन : हस्ताक्षर 

28/4/12

मंजूर हुआ

